रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2006/ज्येष्ठ 22, 1928
No. 601] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2006/JYAISTHA 22, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2006

का.आ. 883(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित तारीख 22 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 814(अ), तारीख 22 अगस्त, 2001 के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में और संशोधन किया जाए ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर यान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) (संशोधन) आदेश, 2006 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. मोटर यान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 के पैरा 4 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(बक) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति जिसे,—

(क) किसी न्यायालय द्वारा संज्ञेय अपराध के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के साथ दोष सिद्ध किया गया है; या

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) (निरसित) या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए एक करोड़ या अधिक रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई हो; या

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) अथवा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन विरुद्ध किया गया हो; या

(घ) भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड अथवा ऐसे किसी अन्य वित्तीय विनियामक बोर्ड अथवा अधिकरणों अथवा अभिकरणों द्वारा दोषी न्यायनिर्णीत किया गया हो; या

(ङ) किसी संगठित अपराध सिंडिकेट अथवा इसके सहयोगी अथवा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) अथवा तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के अधीन विधि विरुद्ध घोषित किसी संगम के साथ किसी रीति में संबद्ध पाया गया हो; या

(च) राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में लिप्त पाया गया हो, उस पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के विनिर्माता अथवा आपूर्ति हेतु विक्रेता के रूप में चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

(बख) किसी राज्य अथवा राज्य के किसी प्रदेश के लिए चयनित व्यक्ति अथवा फर्म, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की पूर्व अनुज्ञा के बिना फर्म का स्वामित्व परिवर्तन नहीं करेगा ।

(बग) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यथा अंतःस्थापित खण्ड (बक), के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और नव रजिस्ट्रीकृत यानों के लिए 31 अक्तूबर, 2006 को अथवा इससे पूर्व तथा पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के लिए तत्पश्चात् दो वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 का कार्यान्वयन पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे :

परन्तु राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विनिर्माता या विक्रेता का चयन रद्द करने अथवा उसे निरर्हित करने से पूर्व यथास्थिति, ऐसे विनिर्माता अथवा विक्रेता को ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन का उचित अवसर देगा और ऐसे रद्दकरण अथवा निरर्हित के लिए लिखित में कारण बताएगा ।"

[फा. सं. आर टी-11028/6/2006-एमवीएल]

एल. के. जोशी, सचिव

टिप्पण : मूल आदेश अधिसूचना सं. का.आ. 814(अ), तारीख 22 अगस्त, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 1041(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2006

S.O. 883(E). Whereas, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to further amend the notification of the Government of India in the Ministry of Road Tramnsport and Highways *vide* notification number S.O. 814(E), dated, the 22nd August, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated, the 22nd August, 2001;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001, namely :—

1. (1) This order may be called the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) (Amendment) Order, 2006.

(2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001, in para 4, after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(xa) The State Government or Union Territory Administration shall ensure that any person who has been,—

(a) convicted of a cognizable offence by any court of law with imprisonment for a term exceeding one year; or

(b) imposed a penalty of rupees one crore or more for violation of the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) (since repealed) or the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999); or

(c) detained under the National Security Act, 1980 (65 of 1980) or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985); or

(d) adjudged guilty by the Stock Exchange Board of India or any other such Financial Regulatory Boards or Tribunals or Agencies; or

(e) found to be associated in any manner with an organized crime syndicate or its associate or with any Association declared unlawful under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) or any other law for the time being in force; or

(f) found to be connected with activities prejudicial to the National Security, is not considered for selection as manufacturer or vendor for supply of High Security Registration Plates.

(xb) The person or firm selected for any State or any region of the State shall not change the ownership of the firm without prior permission of the State Government or Union Territory Administration.

(xc) The State Government or Union Territory Administration shall take necessary action to ensure compliance with the provisons of clause (xa), as so inserted, and complete the implementation of rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 on or before the 31st day of October, 2006 for the newly registered vehicles and within a period of two years thereafter for already registered vehicles :

Provided that before cancelling the selection of or disqualifying a manufacturer or vendor, the State Government or Union Territory Administration shall give such manufacturer or vendor, as the case may be, a reasonable opportunity to represent against such action and communicate in writing the reasons for such cancellation or disqualificaiton."

[F.No. RT-11028/6/2006-MVL]

L. K. JOSHI, Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 814(E), dated the 22nd August, 2001 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1041(E), dated the 16th October, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.